

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 774/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पांचवा तल, बिल्डिंग नम्बर 27, के.जी. मार्ग कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. जितेन्द्र कुमार खण्डेवाल प्रोपराईटर सनराईज पब्लिकेशन व डिस्ट्रिब्यूटर्स
पता - ई-759, बिहाईन्ड गुप्ता स्टोर, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं यूनिट नम्बर 203 एफएफ, (आफटर स्टील्ट जीएफ), प्लाट नम्बर 346 व 347, मां
हिंगलाज, नगर-बी लालरपुरा, गांधी पथ वेस्ट, जयपुर।
2. दिव्या खण्डेलवाल
पता - ई-759, बिहाईन्ड गुप्ता स्टोर, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं यूनिट नम्बर 203 एफएफ (आफटर स्टील्ट जीएफ), प्लाट नम्बर 346 व 347, मां हिंगलाज
नगर-बी, लालरपुरा, गांधी पथ वेस्ट, जयपुर।
3. कैलाश चंद ताम्बी
पता - 152, 16 ए , गिरनार कालोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं :- यूनिट नम्बर 203, फस्ट फ्लोर, प्लाट नम्बर 346 एवं 347, मां हिंगलाज नगर-बी,
लालरपुरा, गांधीपथ पश्चिम, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
15.01.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमति दिव्या खण्डेलवाल के
स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट नम्बर 203 प्रथम तल, स्थित प्लाट नम्बर 346-347, मां
हिंगलाज नगर-बी, लालरपुरा, गांधी पथ पश्चिम, पांचवावाला, जयपुर क्षेत्रफल 883.12 वर्गफीट को
बन्धक रख कर 22,56,912/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा
प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के
अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.07.2021 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त
नोटिस टाईम्स आफ इण्डिया व दैनिक नवज्योति अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी
किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The

500
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 22,56,912/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 22,01,762/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.07.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमति दिव्या खण्डेलवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट नम्बर 203 प्रथम तल, स्थित प्लाट नम्बर 346-347, माँ हिंगलाज नगर-बी, लालरपुरा, गांधी पथ पश्चिम, पांच्यावाला, जयपुर क्षेत्रफल 883.12 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला माजस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

